प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 05.11.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.06.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि विपक्षी मौ0 शमशाद द्वारा बदरपुर लोनी स्थित सरकारी जमीन के फर्जी कागजात तैयार करके आवेदिका के नाम बैनामा करा देना। इसके बाद पुनः विपक्षी मौ0 शमशाद द्वारा आवेदिका को रुपये वापस न करने को लेकर इनाम विहार स्थित एक फ्लाट के फर्जी कागजात तैयार कर आवेदिका के नाम पुनः बैनामा कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा- 420/467/468/471/406 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 05-11-2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ0 शमशाद पुत्र मुराद अली निवासी-खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि साहब मैंने लालच वश आवेदिका को बदरपुर लोनी में स्थित एक सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार करके आवेदिका के नाम बैनामा कर दिया था तथा आवेदिका को पैसे न देने पडे इसलिए मैने पुनः इनाम विहार में स्थित एक प्लाट के फर्जी कागजात तैयार करके उसके नाम बैनामा करा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ0 शमशाद पुत्र मुराद अली निवासी-खन्ना नगर थाना अंकुर विहार, उम्र करीब 48 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध हुक्काबार चलाने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 06 हुक्के, 05 पाइप, 05 चिलम, 01 डिब्बी तम्बाकू डबल अप्पल फलेवर खुला हुआ बरामद ।

दिनांक 04.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध हुक्का बार चलाने वाले अभियुक्तगण 1.जतिन पुत्र कृष्णा कांत नि0-बी38 प्रधान वाली गली जौहरीपुर थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष 2.गजेन्द्र कुमार उर्फ राज मेहरा पुत्र सौरन सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी- बी61/2 कर्दम फार्म जौहरीपुर थाना करावलनगर दिल्ली को म्यूजिक रेस्टोरेन्ट चौकी क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के हुक्का बार से 06 हुक्के, 05 पाइप, 05 चिलम, 01 डिब्बी तम्बाकू डबल अप्पल फलेवर खुला बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- 223/273 बीएनएस व 4/21(1) सिगरेट अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया हम दोनों मिलकर म्यूजिक रेस्टोरेन्ट चलाते है और हम हुक्का बार बिना लाइसेंस के चोरी छिपे चला रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.जतिन पुत्र कृष्णा कांत नि0-बी38 प्रधान वाली गली जौहरीपुर थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष।
2.गजेन्द्र कुमार उर्फ राज मेहरा पुत्र सौरन सिंह उम्र 30 वर्ष नि0- बी61/2 कर्दम फार्म जौहरीपुर थाना करावलनगर दिल्ली।

बरामदगी का विवरण-

06 हुक्के, 05 पाइप, 05 चिलम, 01 डिब्बी तम्बाकू डबल अप्पल फलेवर खुला हुआ बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गजेन्द्र कुमार उर्फ राज मेहरा उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर 02 अभियोग सिगरेट अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के पूर्व में पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 03.11.2025 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मोहिन पुत्र फराईम निवासी मौहल्ला धोवियान थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा वादिया की पुत्री को

फोन पर तीन तलाक दे देना व शिकायत करने पर अभियुक्त के पिता फराईम व मोहिन द्वारा वादिया व वादिया की पुत्री के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 115(2), 352 बीएनएस व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम-2019 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई।

आज दिनांक 05.11.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहिन पुत्र फराईम निवासी मौहल्ला धोवियान थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मेरा अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिस कारण मैंने अपनी पत्नी को फोन पर तीन बार तलाक तलाक कह दिया था एवं मेरे द्वारा गाली गलौज कर मारपीट भी की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

मोहिन पुत्र फराईम निवासी मौहल्ला धोवियान थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

ट्रांस हिंडन जोन में थानों पर गठित साइबर सेल द्वारा 40,98,546/- रुपये की रिकवरी कर पीड़ितों को लौटाए।

साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कमिश्नरेट गाज़ियाबाद के ट्रांस हिंडन जोन में थानों पर गठित साइबर सेल ने पिछले 03 महीनों में कुल ₹ 40,98,546/- की राशि रिकवर कर साइबर अपराध पीड़ितों को वापस लौटा दी है।

जिन लोगों की राशि वापस की गई, वे विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन ठगी जैसे यूपीआई फ्रॉड, फेक कस्टमर केयर हेल्पलाइन, फर्जी निवेश योजनाएं, और ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार हुए थे। यह राशि पीड़ितों की समय पर शिकायत, साइबर टीमों की त्वरित जांच और बैंकों व पेमेंट गेटवे के साथ प्रभावी समन्वय के माध्यम से बरामद की गई।

रिकवरी की प्रमुख प्रक्रिया:-

- **शिकायत पर त्वरित कार्यवाही:** हेल्पलाइन नंबर, थानों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर 'गोल्डन ऑवर्स' के भीतर तुरंत कार्यवाही की गई, जिससे धोखाधड़ी वाले लेन-देन को ट्रैक और फ्रीज़ किया जा सका।
- **वित्तीय संस्थानों से समन्वय:** बैंकों, पेमेंट गेटवे और नोडल अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाकर संदिग्ध खातों को तुरंत फ्रीज़ कराया गया।
- **साइबर टूल्स का इस्तेमाल:** उन्नत साइबर फोरेंसिक टूल्स की मदद से लेन-देन की राह, म्यूल अकाउंट्स और धोखेबाज़ों के अकाउंट्स का पता लगाया गया।

इस अवसर पर लाभार्थियों ने गाजियाबाद पुलिस के त्वरित और सहयोगात्मक रवैये की सराहना की। डीसीपी ट्रांस-हिंडन जोन ने कहा, **"जनता का सहयोग पुलिस कार्यवाही जितना ही महत्वपूर्ण है। समय पर रिपोर्ट करने से हमारी रिकवरी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि संदिग्ध लिंक, अज्ञात कॉल या अत्यधिक आकर्षक ऑफ़रों से सतर्क रहें।"**

नागरिकों के लिए सावधानी के सुझाव:-

1. अपना ओटीपी, पिन या बैंक पासवर्ड किसी से साझा न करें।
2. किसी निवेश योजना या ऑनलाइन विक्रेता को भुगतान करने से पहले उसकी प्रामाणिकता अवश्य जांचें।
3. केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए ग्राहक सेवा नंबर का ही उपयोग करें।
4. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तुरंत सूचना 1930 हेल्पलाइन या www.cybercrime.gov.in पर दें।

गाजियाबाद पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए भौतिक और डिजिटल, दोनों क्षेत्रों में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और साइबर अपराधों से निपटने के लिए अपनी जांच क्षमताओं को लगातार मजबूत करती रहेगी।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 05.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर असलाहो से लैस होकर वादी के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए दुकान के बाहर फायरिंग कर मौके से भाग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 191(2)/190/125/352/351(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई जिसमें दिनांक 07.08.25 को नामजद अभियुक्तगण 1.संदीप पहलवान पुत्र मुकेश

शर्मा निवासी लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2.विष्णु पुत्र मंगल सिंह निवासी शिव चौक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 3. प्रकाश में आये अभियुक्त मोंटी उर्फ कार्तिक पुत्र मनोज निवासी के/708 लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 05.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त बादल पुत्र नरेन्द्र कुमार निर्मल निवासी लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम पिट्ठी दिनौरा जिला बागपत उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग एक साथ बैठे हुए थे उसी दौरान हमारा आपस में झगडा हो गया था जिसमें मैं इसी तमंचे से फायरिंग करके भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

बादल पुत्र नरेन्द्र कुमार निर्मल निवासी लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम पिट्ठी दिनौरा जिला बागपत, उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।